

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल पिता श्री हीरालाल बैरवा निवासी राजपुरा दरीबा तहसील
रेलमगरा जिला राजसमन्द

बनाम

- अपीलांत

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द

- रेस्पोंडेंट

किस्म मुकदमा- अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 04/2019

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 14.02.2019</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक:-प.1()सू0अ0,05/2018/89-90 दिनांक 25.01.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 28.09.2018 से चाही गयी वांछित सूचना का आवेदन इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 12.12.2018 को प्राप्त हुआ जिसकी सूचना प्रबंधक/लोकेशन हेड, हिन्दुस्तान जिंक लि० राजपुरा दरीबा माईन्स,तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की है। महाप्रबंधक प्रशासनिक विभाग हिन्दुस्तान जिंक लि० राजपुरा दरीबा माईन्स, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द द्वारा पूर्व में अन्तरण कर भेजी गई आरटीआई आवेदन पत्र के संबंध में अवगत किया गया है कि मांगी गई सूचना हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा नहीं दी जा सकती है क्योंकि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड प्राईवेट संस्थान है जो कि आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। उक्त कारण को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी को जरिये पत्रांक प.1 ()सू0अ0,05/2018/981 दिनांक 14.12.2018 से पत्र प्रेषित करते हुए आवेदन पत्र कार्यालय स्तर पर पत्रित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(1) में यह व्यवस्था की गई है कि सूचना प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन देगा। धारा 6(3) में यह व्यवस्था है कि यदि किसी लोक प्राधिकरण को ऐसी सूचना के लिए आवेदन प्राप्त होता है जो दूसरे लोक प्राधिकरण द्वारा धारित है या जिसकी विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकरण के कार्यों से निकटतर रूप से संबंधित है तो वह</p>	



M

लोक प्राधिकरण जिसे आवेदन दिया गया है, आवेदन को संबद्ध लोक प्राधिकरण को अन्तरित कर देगा। धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) के प्रावधानों के ध्यानपूर्वक पठन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि सूचना मांगने वाला व्यक्ति अपना आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करे। फिर भी, ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें सामान्य समझ वाला व्यक्ति यह माने कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी, जिसको कि उसने आवेदन किया है, जबकि वास्तव में वह सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास होती है। ऐसे मामलों में आवेदक से गलत लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करने की समझ में आने वाली गलती होती है। किन्तु जहाँ आवेदक ऐसे लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना के लिए आवेदन दे, जो किसी भी सामान्य समझ वाले व्यक्ति को मालूम हो कि वह सूचना उस लोक प्राधिकरण से संबंधित नहीं है, तो आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण को आवेदन भेजने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है। इस क्रम में पूर्व में भी आरटीआई आवेदनकर्ता द्वारा चाही गई सूचना संबंधित को उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(11) में आवेदन अन्तरण कर हिन्दुस्तान जिक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द को भिजवाई गई है उनमें भी जवाब के बिन्दु संख्या 02 में वर्णित अनुसार अंकित आया है एवं उनकी प्रथम अपील श्रीमान् के न्यायालय से निर्णित भी गई है।

प्रार्थी/अपीलार्थी को सुना गया। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयोग को संबोधित प्रार्थना पत्र दिनांक: 14.02.2019 की इस कार्यालय को सूचनार्थ पृष्ठांकित प्रति प्रस्तुत कर सूचना दिलाने की इस्तदुआ कि गई और हिन्दुस्तान जिक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त होना जाहिर करते हुए निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 इस कम्पनी पर भी प्रभावी होने से मुझ प्रार्थी को सूचना दिलवायी जावे किन्तु प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बंध में एवं सुनवाई के दौरान किये गये कथनों की पुष्टि में राज्य सरकार के स्पष्ट नोटिफिकेशन, आदेश आदि की कोई प्रति पेश नहीं कर केवल मात्र माईनिंग विभाग, उदयपुर प्रार्थी को जारी पत्र की प्रति पेश की गयी हैं जिससे हिन्दुस्तान जिक लि0 को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में माना जाना समुचित प्रतीत नहीं होता है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के दौरान किये गये कथन पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर हिन्दुस्तान जिक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द से संबंधित है। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ज) (अनुच्छेद 6) के अनुसरण में हिन्दुस्तान जिक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा ने अपने पत्र दिनांक 30.10.2018 से स्पष्ट किया गया है कि हिन्दुस्तान जिक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स एक प्राईवेट संस्थान है जो आरटीआई के दायरे में नहीं

आती है के संबंध में सूचना दिलाया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के वर्णित प्रावधानों के अनुरूप समुचित नहीं है। प्रार्थी/अपीलार्थी के द्वारा भी सुनवाई के दौरान ऐसे कोई ठोस तथ्य व दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता हो कि हिन्दुस्तान जिनक लि० सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में आती हैं।

अतः प्रथम अपील प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सारहिन होने एवं इस कार्यालय के श्रवणाधिकार में नहीं होना पाये जाने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं० से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो।


लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमन्द

